कार्यालय अधिष्ठाता :: नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
मेडिकल कालेज जबलपुर

क्रमांक/स्था/राज/23/ 3288 दिनांक 13/04/2023

विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 1-9/2018/55-2 भोपाल दिनांक 29/06/2018 के परिपालन में इस चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन बर्न यूनिट के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति हेतु सीधीभर्ती द्वारा राज्यस्तरीय रोस्टर का पालन करते हुए चिकित्सकीय संवर्ग के श्रेणीवार पद हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथी दिनांक 15/05/2023 सांय 05:30 बजे तक अधिष्ठाता कार्यालय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र. 482003 ।

चिकित्सकीय संवर्ग

पदनाम	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	ईडब्ल्यू एस	कुल रिक्त पद	वेतन बैण्डग्रेड पे+
निश्चेतना चिकित्सक	-	1	-	-	-	1	15600-39100+ 5400GP
चिकित्सा अधिकारी	-	1	1	-	-	2	15600-39100+ 5400GP
शल्य चिकित्सक (बर्न/जनरल/प्लास्टिक)	1	-	-	-	-	1	15600-39100+ 5400GP
कुल	1	2	1	-	-	4	

उपरोक्त चिन्हित पदों मे SC = अनसूचित जाति, ST = अनसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS= आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।

नोट:- 1. पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है ।

2. प्रत्येक पद हेतु आवेदन के साथ शुल्क रूपये 1000/- (एक हजार रूपेय मात्र) निम्नानुसार अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर के खाते में जमा कर उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

A/c Holder:-	CEO/Dean N.S.C.B. Medical College Jabalpur
Bank Name	State Bank of India, Medical College Branch Jabalpur
A/c No.	10080132574
IFSC Code	SBIN0001445

निरंतर:- 02

1. रिक्त पदों की शैक्षणिक एंव अतिरिक्त अर्हताएं निम्नानुसार है:-

स. क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताऐं	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षकीय आयु
1	निश्चेतना चिकित्सक	25 वर्ष	एम.बी.बी.एस./एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष
2	चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एम.बी.बी.एस./एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष
3	शल्य चिकित्सक (बर्न/जनरल/प्लास्टिक)	25 वर्ष	एम.बी.बी.एस./एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष

टीपः—अधिकतम आयु म.प्र. शासन के नियमानुसार होगी एवं 01 जनवरी 2023 के दिनांक को आधार मानकर गणना मे ली जावेगी।

2. पदो पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

   - आरक्षण का लाभ जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

3. चिकित्सक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय—समय पर सौपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

4. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में वांछित दस्तावेज संलग्न न करने पर अपूर्ण आवेदन पत्र को अमान्य किया जावेगा तथा किसी भी तरह का पत्राचार मान्य नहीं होगा।

5. आवेदक पूर्व से जिस संस्था मे कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा चयनित होने की स्थिति में त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, चयन प्रकिया हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

निरंतरः- 03

6. नियुक्ति इस संस्था के सेवाशर्तो के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवाशर्तो मे आंशिक सुधार एवं परिर्वन कर सकेगी।

7. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

8. निरर्हतायें–

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

9. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :–स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में आवेदन पत्र दिनांक 15/05/2023 सायं 05.30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते है। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

निरंतरः- 04

10. चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा।

11. उक्त नियुक्तियों मे विवाद की स्थिती में न्यायायलयीन कार्य क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर होगा एवं होने वाली नियुक्तियों मे यदि माननीय न्यायालय कोई निर्देश जारी करता है तो प्रकरण में पारित अंतिम निर्णय सर्वोमान्य होगा।

12. समस्त प्रवर्गों के आवेदक आवेदन शुल्क प्रत्येक पद हेतु रूपये 1000/- (शब्दों मे रूपये एक हजार मात्र (निम्नानुसार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय के खाते में राशि का डिमांड ड्राफ्ट "मुख्य कार्यपालन अधिकारी,एवं अधिष्ठाता स्वाशासी नेता जी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कालेज जबलपुर" के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा । बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता व विषय तथा नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा । किसी भी अवस्था में राशि लौटायी नही जावेगी । अथवा उपरोक्तानुसार राशि अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के खाते में जमा जमा की जा सकती है। राशि जमा कर रसीद मूलतः आवेदन के साथ संलग्न करें।

Account Details A/c Holder:- CEO/Dean N.S.C.B. Medical College Jabalpur, Bank Name State Bank of India Medical College Branch A/c No. 10080132574. IFSC Code:-SBIN0001445.

<u>महत्वपूर्ण टीप</u> :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और भार्तो को पूरा करते है। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले ओर अर्हता की समस्त भार्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरूद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी। बिंदु क्रमांक 08 के संबंध में चयन उपंरात 07 कार्यालयीन दिवस में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस (स्वशासी समिति)
चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर